न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 88/2016(223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2016/00038

उनवान

1. चरन सिंह
2. शिव सिंह
3. मुरारी
4. परषोत्तम

} पुत्रगण स्व0 श्री सोबरन सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बनवारी } पुत्र स्व0 राम सिंह
2. विजेन्द्र सिंह }
3. हरप्यारी वेवा स्व0 चिंतामन
4. मु0 मुलिया पत्नि दिमान सिंह
5. मु0 चन्द्रावली पत्नि भूरी सिंह
6. जीतू उर्फ जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जगदीश
7. दीनदयाल पुत्र स्व0 चिन्तामन
8. केशव पुत्र स्व0 चिन्तामन
9. दिमान सिंह पुत्र स्व0 जवाहर सिंह (मृतक)
   - 9/1. मान सिंह } पुत्र दिमान सिंह
   - 9/2. सूबेदार }
   - 9/3. निहाल सिंह }
   - 9/4. मुलिया वेवा दिमान सिंह
   - 9/5. मानदेई पुत्री दिमान सिंह पत्नि निरंजन सिंह जाति ठाकुर निवासी मकारा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0।
   - 9/6. पुष्पो पत्नी गोविन्द सिंह पुत्री दिमान सिंह जाति ठाकुर निवासी निमोरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उ0 प्र0।
10. भूरी सिंह पुत्र स्व0 जवाहर सिंह } पुत्र दिमान सिंह जाति ठाकुर निवासी दलेल का पुरा तहसील
11. मायाराम पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह } राजाखेडा जिला धौलपुर।
12. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजाखेडा जरिये प्रबंधक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर।
14. गुड्डी पत्नी स्व0 जगदीश जाति राजपूत ठाकुर निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

} जाति ठाकुर निवासी ग्राम दलेल का पुरा तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... रैस्पो0

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दि0 15.09.2016 प्रकरण संख्या 103/2015 उनवानी चरन सिंह बनाम बनवारी।

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. श्री दिनेश शर्मा वकील रैस्पो0।

दिनांक—02.04.2025

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दलेल का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 11 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के नाम दर्ज इन्द्राज कलमजन किये जावें व वादीगण अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 11 को 1/4 हिस्से का इन्द्राज किया जावें एवं प्रतिवादी गण रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण रैस्पो0 की ओर से बनवारी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी स्वीकार करते हुये, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2016 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी में दो आपत्तियॉ उठायी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक आपत्ति का निस्तारण ही नहीं किया। मिस जोइंडर के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर किसी पक्षकार को दावे में पक्षकार बनाने से नहीं छोडा है। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के एवं कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं। वैसे भी न्यायालय को तकनीकी आधार पर दावा खारिज नहीं करना चाहिये था। यदि कोई पक्षकार दावे में जोडने से रह गया है तो उसे प्रार्थना पत्र आदेश 1

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नियम 10 के तहत जोडा जा सकता है एवं कोई खसरा नम्बर यदि टाईप से गलत अंकित हो गया है, तो उसे भी सुधारा जा सकता है। दावे में जगदीश के पुत्र को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलाण्ट को उसकी मॉ भी है, का कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि जमाबन्दी में विवादित आराजी पर जगदीश का ही नाम दर्ज था एवं जगदीश की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 2012(4) पेज 2994, 2005 पेज 558, आरआरडी 2000 पेज 270 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने आवश्यक पक्षकारो को दावे में पक्षकार नहीं बनाया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर दावा नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रसित माना जाकर खारिज किया है। एक रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक होता है। दावे में खसरा नम्बर भी गलत अंकित किये गये हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त गलती को संशोधन कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त दावा खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2019 पेज 502 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 ने दौराने वाद एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये यह आपत्ति उठायी कि प्रकरण में जगदीश की वेवा व जीतू की मॉ गुड्डी को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही उसे पक्षकार नहीं बनाने का कोई कारण ही वाद पत्र में अंकित किया है। अतः वाद पत्र दूषित है। इसके अलावा वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1512/2 रकवा 02 बीघा 07 विस्वा में वादीगण/अपीलाण्ट किस प्रकार हिस्सा रखते हैं। यह भी अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी/रैस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण/अपीलाण्ट ने जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादीगण ने जानबूझकर प्रतिवादी जीतू की मॉ गुड्डी को पक्षकार मुकदमा नही बनाया बल्कि उक्त गलती सहवन से हुयी है। मृतक जगदीश के पुत्र को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया है। परन्तु जगदीश की वेवा को पक्षकार मुकदमा सहवन से नहीं बनाया है। यदि पक्षकार मुकदमा बनाने हेतु न्यायालय आदेश देती है तो उसे पक्षकार मुकदमा बना लिया जावेगा। आराजी खसरा नम्बर 1512/2 टाइपिंग मिस्टेक से अंकित हो गया है जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1517/3 है, जो कि वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये, वादीगण अपीलाण्ट का दावा जगदीश की वेवा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने के कारण खारिज कर दिया। हम पाते हैं कि जब वादीगण अपीलाण्ट अपने जवाब प्रार्थना यपत्र में जगदीश की वेवा को पक्षकार मुकदमा बनाने हेतु सहमत थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को तकनीकी आधार पर दावा खारिज करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णय पारित करना ज्यादा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायोचित रहता। जहॉ तक खसरा नम्बर गलत अंकित होने का प्रश्न है उसे भी अधीनस्थ न्यायालय वादीगण से यथोचित प्रार्थना पत्र लेकर संशोधित करा सकती थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाधीन आदेश में उक्त तथ्य बाबत् कोई निर्णय ही नहीं दिया। विधि अनुसार पक्षकारो को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अत्यंत सूक्ष्म हैं। अपीलाधीन आदेश में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जवाब प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार कोई भी पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो। अतः हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण अपीलाण्ट को यह निर्देशित करते हुये कि वह अधिकतम एक माह में जगदीश की वेवा गुड्डी को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा जोडने एवं खसरा नम्बर को संशोधित कराने की कार्यवाही करें। तत्पश्चात् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर